न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

प्र मु 91/2021

1 बन्नाराम खोलायत (दतक) पुत्र स्व. थानाराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

बनाम

1 मालाराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तह. बीदासर चूरू राज.
2 मोहनराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट गोदारा निवासी तह. बीदासर चूरू राज.
3 सोहनी पत्नि स्व. लालाराम जाति जाट गोदारा निवासी तह. बीदासर चूरू राज.
4 मघाराम पुत्र स्व. लालाराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तह. बीदासर चूरू राज.
5 श्रवणराम पुत्र स्व. लालाराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तह. बीदासर चूरू राज.
6 अन्नाराम पुत्र स्व. लालाराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तह. बीदासर चूरू राज.
7 भंवरी पुत्री स्व. लालाराम पत्नी श्री मेहरामाराम जाति जाट कस्वां निवासी सोनियासर खारीया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
8 केशर पुत्री स्व. लालाराम पत्नी श्री लालाराम जाति जाट सींवर निवासीनी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
9 पुनी पुत्री स्व. लालाराम पत्नी श्री केशराराम जाति जाट मण्डा निवासीनी ग्राम जेतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
10 लिछमा पुत्री स्व. उमाराम पत्नी श्री उंकाराराम जाति जाट खिलेरी निवासीनी ग्राम पडीहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरू
11 गीता पुत्री स्व. उमाराम पत्नी श्री उमाराम जाति जाट महला निवासीनी दूंकर रोड़ कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
12 मूलाराम पुत्र नानूराम जाति जाट गोदारा निवासी रामदेवरा तह. बीदासर जिला चूरू
13 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रिडी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ति एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए 188ए एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1 वादी — श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 12 श्री मोहम्मद आमीन शेख
3 प्रतिवादी स. 14 — पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 16 / 11 / 2021

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही रामदेवरा में खेत खसरा नम्बर 834 रकबा 14.6066 हैक्टेयर (57—15बीघा), खसरा नम्बर 835 रकबा 4.8688 हैक्टेयर (19—05 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 19.4764 हैक्टेयर (77—00बीघा) संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है उपरोक्त वर्णित वादगत खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण, प्रतिवादी सख्या 1 ता 12 का रहा है वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा उमाराम का एवं 1/2 हिस्सा मूलाराम

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

नानूराम का रहा है। उमाराम के चार पुत्र मालाराम, लालाराम (फौत), मोहनराम, (थानाराम) तथा दो पुत्रीयां छमा, गीता हुई जिनका प्रत्येक का उपरोग्क्त खातेदारी भूमि में हक हिस्सा एवं खातेदारी अधिकार है विवादित खसराजात की भूमि के 7/60 हिस्सा के खातेदार थानाराम का दिनांक 17/7/2021 को अविवाहित स्वर्गवास हो चुका है, स्व. थानाराम ने अपने बड़े भाई स्व. लालाराम के ज्येष्ठ पुत्र वादी बनाराम को उसकी बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था और वादी का पालण पोषण सारा थानाराम के द्वारा की किया गया था, थानाराम के जीवनकाल में थानाराम के हक हिस्सा भूमि भूमि को वादी बनाराम के द्वारा ही काश्त किया जाता रहा है एवं थानाराम की हिस्सा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी ग्रामीण परिवेश का कृषि पैशा अनपढ़ व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रकिया की जानकारी नहीं होने के कारण अपने पिता से किसी प्रकार का पंजीकृत गोदनामा वादी के पक्ष में नहीं करवाया गया। वादी के पिता द्वारा दिनांक 21/01/2020 को वादी के पक्ष में एक गोदनामा सम्पादित करवा कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। इस प्रकार वादी अपने पिता थानाराम की भूमि का काबिज काश्तकार होने के हिस्सेदार है वादी के पक्ष में किये गये गोदनामा की कभी किसी हिस्सेदार, खातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई एवं वादी के कब्जा काश्त में कभी किसी खातेदार द्वारा किसी प्रकार का उजर नहीं किया गया। उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि में वादी द्वारा खातेदार थानाराम फौत होने के बाद थानाराम के हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने वास्ते प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे। फिर दिनांक 30/7/2021 को प्रतिवादीगण सख्या 1 एक ता 12 ने वादी के नाम स्व. थानाराम की हिस्सा भूमि में खातेदारी दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया और ऐलानिया तौर पर कहा की हम थानाराम की हिस्सेदारी तुम्हारे अकेले के नाम दर्ज नहीं करवाने देगे। हम तुम्हारे हक हिस्सा और कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करेगे, अजनबी व्यक्तियों को बेच देगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। जिसके कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में थानाराम का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको प्रतिवादीगण गलत तरीके से बिना कब्जा काश्त के अपने नाम दर्ज करवा कर विक्रय हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में वादी के हिस्सा पांती पर प्रतिवादी सख्या 1 ता 12 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वादी को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा कर थानाराम की हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकार वादी को प्राप्त है। जमीनो के बाजार भाव बढ़ने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 12 के मन में लालच आ गया है और प्रतिवादीगण वादगत खेतों में वादी के कब्जा काश्त एवं मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि को हस्तान्तरित करने की कुचेष्ठा में है। जिसका प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादी के कब्जा काश्त की भूमि को बाला बाला खातेदारी दर्ज करवा कर विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादी को बेदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। प्रतिवादी सख्या 13 को वादी स. 1 मालाराम को ऋण देने के कारण प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है जिनका हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा आदि आदि निवेदन कर अनुतोष चाहा की विवादित खेत खसरा नम्बर 834 रकबा 14.6066 हैक्टेयर (57–15बीघा), खसरा नम्बर 835 रकबा 4.8688 हैक्टेयर (19–05 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 19.4764 हैक्टेयर (77–00बीघा) में खातेदार स्व. थानाराम की भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जिसकी घोषणा वादी के नाम की जाकर वादी को बतौर खोलायत पुत्र थानाराम होने के थानाराम की हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे, प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि वादगत खेत खसरो में वादी के कब्जा काश्त की एवं खातेदारी भूमि विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 वादी को प्रवेश करने, काश्त करने से रौके नहीं ना ही ऐसा कोई कृत्य या फैल करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर किसी प्रकार से विपरीत असर पडे आदि अनुतोष चाहा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स. 3 ता 12 की और से श्री मो. आमीन षेख ने वकालतनामा मय नोटेरी से तस्दीक षुदा राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 1, 2 विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 14 पैरोकार राज. ने राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 बन्नाराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2074–2077 खेत खाता न. 87, छाया प्रति गोदनामा

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

2 असल से मिलान करवा कर प्रदर्शित करवाये। प्रस्तुत वाद में वादी अपने पिता स्व. थानाराम की भूमि प्रति में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जिसके सम्बन्ध में एवं खातेदार लालाराम के विधिक वारिसान प्रति. स. 3 ता 9 के सम्बन्ध में किसी सहखातेदार प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पत्रावली में नहीं की गई है। प्रतिवादी स. 3 ता 12 द्वारा हाजिर अदालत आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजीनामा एवं साक्ष्य वादी का भलीभांती ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा अनुसार वादगत खेत की खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 के नाम दर्ज है जबकी वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार एवं पक्षकारान् के राजीनामा मुताबिक खातेदार स्व. थानाराम के हिस्सा पांती की 7/60 हिस्सा भूमि पर वादी का कब्जा अधिकार चला आ रहा है जिसका स्पष्ट अंकन वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सशपथ बयानो एवं राजीनामा में किया गया है। प्रस्तुत गोदनामा खातेदार थानाराम का वादी दतक पुत्र होना साबित करता है तथा खातेदार बन्नाराम का दिनांक 17/7/2021 को मृत्यू होने के बाद वादी खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने का वैधानिक अधिकारी है। वादी का वाद बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः खेत खसरा नम्बर 834 रकबा 14.6066 हैक्टेयर (57–15बीघा), खसरा नम्बर 835 रकबा 4.8688 हैक्टेयर (19–05 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 19.4764 हैक्टेयर (77–00बीघा) वाके रोही रामदेवरा से खातेदार थाना पुत्र उमा का नाम हटाया जाकर 7/60 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जाती है, एवं खातेदार स्व. लालाराम के हिस्सा पांती की भूमि में स्व. लालाराम के वारिसान प्रतिवादी 3 ता 9 के नाम विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण स. 1 ता 12 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। उपरोक्तानुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी की जावे। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16 –11 – 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner